

बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

ज्ञाप संख्या : 4-सं./ब.1-01/11...../

पटना, दिनांक नवम्बर, 2011

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

विषय :-

राजधानी पटना में अन्तर्राष्ट्रीय संग्रहालय निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग, बिहार के माध्यम से चयनित वास्तुविद् परामर्शियों के मानदेय, जूरी सदस्यों के मानदेय/यात्रा व्यय/स्थानीय व्यय के भुगतान तथा सर्वे/मृदा परिक्षण/अन्यान्य व्यय हेतु ₹ - 35,00,000/- (पैंतीस लाख रुपये) मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति।

आदेश :-

स्वीकृत।

2- व्यय का विकलन योजना आय-व्ययक शीर्ष "4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन-051-निर्माण-0107-सांस्कृतिक संरचना-5301-मुख्य निर्माण कार्य" विपत्र कोड पी- 4059600510107, मांग संख्या-03 के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011-12 में होगा।

3- राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के सम्बन्धित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, पटना से की जायेगी।

4- इस आय-व्ययक के निगंत्री पदाधिकारी सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना हैं, जिनके द्वारा विमुक्त राशि का आवंटन निर्गत किया जायेगा एवं व्यय का अनुश्रवण किया जायेगा।

5- राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं कार्यान्वयन प्रतिवेदन कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

6- यह स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 96, दिनांक 03.01.2008 के आलोक में प्रदान की गयी है।

7- राशि की स्वीकृति में विभागीय मंत्री/प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(अर्जुन प्रसाद साह)

सरकार के उप सचिव।

पटना, दिनांक नवम्बर, 2011

ज्ञापांक...../

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अर्जुन प्रसाद साह)

सरकार के उप सचिव।

पटना, दिनांक 09 नवम्बर, 2011

ज्ञापांक...../

प्रतिलिपि : सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के आप्त/निदेशक, संग्रहालय, बिहार/प्रशाखा पदाधिकारी-1(बजट)/ प्रशाखा पदाधिकारी-4/बजट सहायक, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अर्जुन प्रसाद साह)

सरकार के उप सचिव

8/11/2011